



केंद्रीय विद्यालय क्र० 1 रीवा (म० प्र०) - 486001

KENDRIYA VIDYALAYA No.1 REWA (M.P.) - 486001

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)

(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India)

Email : [rewalkv@gmail.com](mailto:rewalkv@gmail.com) website: <https://no1rewa.kvs.ac.in> Ph. No.: [07662-297023](tel:07662-297023)



फ.1584/के.वि.क्र.1रीवा/2020-21/

दिनांक: 13/10/2020

कोविड-19 जागरूकता सह गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं म. प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में

प्रिय अभिभावक,

भारत सरकार नियमित रूप से विज्ञापनों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से Intensive & Focused COVID-19 Campaign चलाकर समस्त नागरिकों को जागरूक कर रही है। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी निर्देशों का पालन करना एवं हाथों को साबुन से बार-2 धोना / सैनीटाइज करना आदि कोरोना वायरस से बचने के मूल मन्त्र हैं एवं इस त्योहारी माहौल में और अधिक सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि **“सावधानी हटी, दुर्घटना घटी”**। देशभर का प्रत्येक घर परोक्ष-अपरोक्ष रूप से किसी ना किसी विद्यालय से जुड़ा है अतः भारत सरकार के कोविड-19 के विरुद्ध गहन एवं केन्द्रित अभियान में देशभर के प्रत्येक विद्यालय की मुख्य भूमिका है। इसी तारतम्य में हाल ही में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की अभिभावक-शिक्षक मीटिंग के दौरान हमारे समस्त शिक्षकों ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढाई, गाइडेंस एवं काउंसलिंग के साथ-2 भारत-सरकार से प्रदत्त उपर्युक्त निर्देशों की अनुपालना का निवेदन आप सब से किया एवं लगातार कर भी रहे हैं।

हम समझते हैं कि अभिभावक, विद्यार्थी एवं विद्यालय के समस्त कर्मचारी विद्यालयों को विद्यार्थियों हेतु पुनः खुलने का इंतजार कर रहे हैं किन्तु शासन के निर्देशानुरूप कक्षा 1-8 के विद्यार्थी अभी 15 नवम्बर तक विद्यालय नहीं आ सकते एवं कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षण पर ही जोर दिया गया है। तथापि 9-12 के विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता होने पर अभिभावक की सहमति से छोटे गुप में विद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इसके लिए एक सहमति-पत्र [प्रति संलग्न] को भरकर अभिभावक को हस्ताक्षर करने होंगे एवं व्हात्सप्प के माध्यम से सम्बंधित शिक्षक / प्राचार्य [9425330090] को प्रेषित करना होगा एवं सम्बंधित शिक्षक / प्राचार्य विद्यार्थी को समय/दिन सूचित करेंगे, सूचित समय पर विद्यार्थी दो प्रतियों में सहमति पत्र लेकर आएगा, एक प्रति विद्यालय में जमा हो जाएगी एवं दूसरी विद्यार्थी प्रतिदिन जब भी विद्यालय आएगा अपने साथ रखेगा।

अतः समस्त अभिभावक उपर्युक्त निर्देशों का पालन करें एवं अपने पाल्य की शिक्षा-दीक्षा के साथ स्वयं एवं अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें।

धन्यवाद!

संलग्नक: सहमति पत्र

भवदीय,

(चन्दन कोहली)

प्राचार्य

के. वि. क्र. 1 रीवा



केंद्रीय विद्यालय क्र० 1 रीवा (म० प्र०) - 486001

KENDRIYA VIDYALAYA No.1 REWA (M.P.) - 486001

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)

(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India)

Email : [rewalkv@gmail.com](mailto:rewalkv@gmail.com) website: <https://no1rewa.kvs.ac.in> Ph. No.: [07662-297023](tel:07662-297023)



दिनांक:

कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों को अति-आवश्यक होने पर शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु सहमति पत्र

विद्यार्थी का नाम:

कक्षा:

विभाग:

विषय जिसमें मार्गदर्शन वांछित है:

सम्बंधित विषय शिक्षक का नाम:

अभिभावक का नाम:

व्हात्सप्प नो.:

पता:

मैं, श्री / श्रीमती ..... उपर्युक्त विद्यार्थी का / की पिता / माता हूँ ।  
मैं विद्यालय द्वारा दिए गए समय एवं दिवसों पर उपर्युक्त विद्यार्थी को कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए  
विद्यालय लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था का वचन देता हूँ । आज की तिथि पर उपर्युक्त विद्यार्थी पूर्णतः स्वस्थ  
है एवं दिए गए समय एवं दिवसों पर उपर्युक्त विद्यार्थी के स्वस्थ होने पर ही उसको विद्यालय भेजूंगा / भेजूंगी ।

विद्यार्थी पीने का पानी स्वयं घर से लेकर आएगा । यदि विद्यालय आने-जाने के दौरान वह किसी संक्रमण आदि से  
ग्रसित होता है तो उसके लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

अभिभावक का हस्ताक्षर:

दिनांक:

कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों को अति-आवश्यक होने पर शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु सहमति पत्र

विद्यार्थी का नाम:

कक्षा:

विभाग:

विषय जिसमें मार्गदर्शन वांछित है:

सम्बंधित विषय शिक्षक का नाम:

अभिभावक का नाम:

व्हात्सप्प नो.:

पता:

मैं, श्री / श्रीमती ..... उपर्युक्त विद्यार्थी का / की पिता / माता हूँ ।  
मैं विद्यालय द्वारा दिए गए समय एवं दिवसों पर उपर्युक्त विद्यार्थी को कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए  
विद्यालय लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था का वचन देता हूँ । आज की तिथि पर उपर्युक्त विद्यार्थी पूर्णतः स्वस्थ  
है एवं दिए गए समय एवं दिवसों पर उपर्युक्त विद्यार्थी के स्वस्थ होने पर ही उसको विद्यालय भेजूंगा / भेजूंगी ।

विद्यार्थी पीने का पानी स्वयं घर से लेकर आएगा । यदि विद्यालय आने-जाने के दौरान वह किसी संक्रमण आदि से  
ग्रसित होता है तो उसके लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

अभिभावक का हस्ताक्षर: